

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18( )2015/विस/प्रमुखसं/344-52

दिनांक : 6-2-15

निमित्त,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त,  
राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(ट्री)  
राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं  
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,  
राजस्थान, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(विकास)/ई.जी.एस.,  
राजस्थान, जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
वन सुरक्षा,  
राजस्थान, जयपुर।
6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रशासन,  
राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
आई.टी.,  
राजस्थान जयपुर।

विषय:-14वी. विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए आवश्यक सूचनाएं।

संदर्भ:- सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय की अशा.टीप. मु.मं.का./ओएसडी  
(एस)/चौदहवीं/विस/चतुर्थ/2015/4281 दिनांक 05.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से 14वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र के लिए आवश्यक सूचनाएं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 16 फरवरी, 2015 तक उन्हें भिजवाने हेतु निर्देशित किया है। संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि आपसे संबंधित बिन्दुओं के क्रम में सूचना तैयार कर/मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (CMIS) पर अपडेट करवाकर सूचना दिनांक 12.02.2015 तक विधानसभा अनुभाग को आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(एम.एल.मीना)

मुख्य वन संरक्षक

(मुख्यालय)राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
मुख्यमंत्री कार्यालय

विषय:- 14 वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र के लिए आवश्यक सूचनाएं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि 14 वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 25 फरवरी, 2015 से प्रारम्भ हो रहा है। इस हेतु निम्नांकित बिन्दुओं की सूचनाएं CMIS में Update कराने का श्रम करावें:-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जिलों के भ्रमण के दौरान की गई घोषणाओं, बजट घोषणाओं, माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों एवं सुराज संकल्प-2013 एवं परियोजनाओं (Projects) की क्रियान्विति की सूचना तथा दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2015 तक विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों, नवाचार एवं अर्जित महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों की सूचना। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभाग द्वारा दी गई नियमित एवं अनुकम्पात्मक नियुक्तियाँ व पदोन्नतियाँ और तुलनात्मक विवरण की प्रगति तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु विभिन्न एक्ट, नियम, परिपत्र इत्यादि का सरलीकरण/ विलोपन आदि सहित मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (CMIS) में अपडेट करावें। (इनकी प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है)

निम्नांकित सूचनाएं निदेशक(सां.), मुख्यमंत्री को ई-मेल [cmis@rajasthan.gov.in](mailto:cmis@rajasthan.gov.in) (MS-Word file में) पर आवश्यक रूप से दिनांक 16 फरवरी, 2015 तक भिजवाने का कष्ट करें:-

2. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2014 के क्रियान्वयन की प्रगति।
3. दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2015 तक विभाग से सम्बन्धित समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणी एवं विभाग के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण तथा समसामयिक बिन्दुओं/विषयों पर स्वतः स्पष्ट और समुचित प्रकाश डालते हुए बिन्दुवार टिप्पणी। (प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 2 पृष्ठ)
4. विभाग की महत्त्वपूर्ण नवीनतम सांख्यिकी।
5. विभाग की उपलब्धियों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचकांकों की अन्य राज्य एवं भारत के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण।
6. विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली अधिसूचनाएं, अध्यादेश एवं विधेयक यदि कोई हो तो उनकी प्रति।
7. इस हेतु आपके विभाग के नोडल अधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर निम्न प्रपत्र में उपलब्ध करावें।

नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	निवास स्थान का पता	टेलीफोन नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल

15/2/15  
(तन्मय कुमार)  
सचिव, मुख्यमंत्री

समस्त,  
अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अ0शा0टीप: मुमंका/ओएसडी(एस)/चौदहवीं/विस/चतुर्थ/2015 1/2 8।  
जयपुर, दिनांक: 5/2/2015

17. नाबार्ड से ऋण :- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राशि 6968.19 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यह प्रावधान आयोजना विभाग की सीलिंग के अनुसार रखा गया है।

(Rs. in lac)

क.सं.	कार्य	स्वीकृत राशि 14-15	संशोधित राशि 14-15	अनुमानित राशि 2015-16			In which CSS
				कमिटेड	नवीन	योग	
1	नाबार्ड से ऋण	22405.45	16617.17	6968.19		6968.19	